लेफ्टिनेंट जनरल जय प्रकाश नेहरा, एवीएसएम**
एडजुटेंट जनरल

प्रस्तावना

1. भारतीय थलसेना परंपरागत रूप से अपने भूतपूर्व सैनिकों एवं वीर नारियों से जुड़ी रहती है। जिन सैनिकों ने अपने जीवन की सर्वोत्तम अवधि राष्ट्र सेवा में लगा दी, उन भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान करना भारतीय थलसेना के आचार एवं संस्कृति का हिस्सा रहा है। इस अंतर्निहित मूल्य प्रणाली के फलस्वरूप भारतीय थलसेना ने 2012 को 'भूतपूर्व सैनिक वर्ष' के रूप में मनाया था। कल्याण की प्रक्रिया एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। चूंकि हमारा उद्देश्य भूतपूर्व सैनिकों एवं वीर नारियों के साथ सहानुभूति एवं संबद्धता है, इसलिए थलसेनाध्यक्ष द्वारा यह निर्णय लिया गया कि भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण की इस प्रक्रिया को शाश्वत बना दिया जाए। तदनुसार, एडजुटेंट शाखा के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ को हमारे भूतपूर्व सैनिकों की शिकायतों के समाधान एवं उनके कल्याण हेतु एकल बिन्दु के रूप में कार्य करने के लिए उपयुक्त रूप से सशक्त बनाया जाएगा।

2. मैं भूतपूर्व सैनिकों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम आपके वास्तविक कल्याण को प्रभावित करने वाले समस्त मामलों के निपटारे के लिए प्रतिबद्ध हैं और भारतीय थलसेना आपको न्याय दिलाने के लिए निरन्तर प्रयास करती रहेगी तथा समस्त मामलों का निपटान उनके तार्किक समाधान के अनुरूप होगा।

3. मैं आपके स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करता हूँ।

जय हिन्द।

जे पी नेहरा

स्टेशन – नई दिल्ली

दिनांक – जनवरी, 2013

(जय प्रकाश नेहरा)
लेफ्टिनेंट जनरल
एडजुटेंट जनरल

VETERANS NEWS LETTER: 2013

General

1. 2012 was observed as a 'Year of the Veterans'. A concerted effort was made during the year to reach out to maximum Veterans and Veer Naris by way of rallies, melas and pension adalats. Teams from formations were sent to meet and interact with Veterans in rural and remote areas with a view to hear and address grievances that normally do not come to light.

2. Welfare is a continuous process. Dedicating a particular year to welfare of ESM can be viewed as commencement of a process to take a holistic view of the multifarious aspirations and expectations of the ex-servicemen community. Accordingly it has been decided by the COAS that the welfare of Veterans and Veer Naris will continue to be accorded Top Priority, year after year.

Veterans Cell

3. The Veterans Cell in Army HQ is now headed by a serving Brig and the organisation is being revitalised to address problem of our ESM. Similarly, Area and Station HQs in various locations have opened up, mostly toll free ESM help-lines. A list of these help-lines is given at the end of this news letter.

Pension Related Issues

4. **Govt Orders on Pensions.** On 17 Jan 2013, Ministry of Defence issued orders affecting the scales of pension of all ranks in which it not only extended the scope of benefits but also the beneficiaries. A brief analysis of the Govt Orders is given in succeeding paragraphs.

5. **Family Pension to Handicapped Children.** A physically/ mentally handicapped son/daughter of a defence pensioner was not entitled to Family

भूतपूर्व सैनिक समाचार पत्र : 2013

सामान्य

1. वर्ष 2012 को 'भूतपूर्व सैनिक वर्ष' के रूप में मनाया गया था। इस के दौरान रैलियों, मेलों एवं पेंशन अदालतों के माध्यम से अधिक से अधिक भूतपूर्व सैनिकों एवं वीर नारियों से संपर्क करने के संगठित प्रयास किए गए। ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों में भूतपूर्व सैनिकों से मिलने एवं बातचीत करने के लिए संरचनाओं से दल भेजे गए जिससे कि उनकी उन शिकायतों को सुना जा सके और उनका समाधान किया जा सके जो कि सामान्यत: प्रकाश में नहीं आती।

2. कल्याण की प्रक्रिया एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए एक वर्ष विशेष को समर्पित करने को उस प्रक्रिया के प्रारंभ होने के रूप में समझा जाना चाहिए जिसमें भूतपूर्व सैनिकों के समुदाय की विभिन्न आकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं को समग्र रूप से देखा जा सके। तदनुसार, थलसेनाध्यक्ष द्वारा निर्णय लिया गया है कि भूतपूर्व सैनिकों एवं वीर नारियों के कल्याण को प्रत्येक वर्ष सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।

भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ

3. थलसेना मुख्यालय में भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के प्रमुख अब एक सेवारत ब्रिगेडियर है। इस संगठन को हमारे भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं के समाधान के लिए पुनरूद्धारित किया जा रहा है। विभिन्न एरिया एवं स्टेशन मुख्यालयों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकांशत: टोल फ्री हैल्प लाइन की सुविधा प्रदान की गई है। इन हैल्प लाइनों की सूची इस सूचना पत्र के अंत में दी गई है।

पेंशन संबंधी मामले

4. **पेंशन संबंधी सरकारी आदेश** - 17 जनवरी, 2013 को रक्षा मंत्रालय द्वारा समस्त रैंकों के पेंशन मानों को प्रभावित करने वाला आदेश जारी किया गया था जिसमें न केवल इन हितों अपितु हिताधिकारियों के कार्यक्षेत्र को भी विस्तारित किया गया था। आगामी पैराओं में सरकारी आदेश का संक्षिप्त विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

5. **विकलांग बच्चों को पारिवारिक पेंशन**- किसी रक्षा पेंशनर के शारीरिक/मानसिक रूप से अशक्त पुत्र/पुत्री को उसके विवाह के पश्चात पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने

Pension after his/her marriage. This benefit has now been extended for life even after marriage of the beneficiary, subject to income criteria.

(Auth: Govt of India, MoD Letter No 02(03) /2010-D (Pen-Policy) dt 17 Jan 2013)

6. **Dual Family Pension.** Armed Forces personnel who have served in two organisations are eligible for dual pension. However, on demise of the pensioner, his family was entitled to only one of the two pensions, whichever was more beneficial. Dual Family Pension is now entitled to the families also.

(Auth: Govt of India, MoD Letter No 01(05) /2011-D (Pen-Policy) dt 17 Jan 2013)

7. **Pension: Officers.** Retiring Pension of officers who had retired before Jan 2006 was fixed at minimum of their pay band. This had resulted in great disparity in the pension of various ranks, with the retired Majors being the worst affected. After the issuance of the Govt Order, dated 17 Jan 2013 the pre-2006 officers will be granted pension at 50% of the minimum pay of the rank as per the fitment table + grade pay + MSP for 33 years of qualifying service including rank wise weightage. Similarly, the Ordinary, Special and Liberalised Family Pension will now be calculated as per the minimum pay of the rank in fitment table. A Table showing revised entitlements is given below.

Rk	**Min Pay of Pay Band**	**Pen on 01 Jan 2006 (50% of (a) + grade pay + MSP)**	**Min Pay in Fitment Table**	**Pen on 24 Sep 2012 (50% of (c) + grade pay + MSP)**	**Family Pen (30% of (c) + grade pay + MSP)**	**Special Family Pen (60% of (c) + grade pay + MSP)**	**Liberalised Family Pen (100% of (c) + grade pay + MSP)**
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Lt	15600	13500	19530	15465	9279	18558	30930
Capt	15600	13850	20190	16145	9687	19374	32290
Maj	15600	14464	23810	18205	10923	21846	36410

का अधिकार नहीं था। अब इस लाभ को विवाहेतर आजीवन उसके आय मानदंडों के अध्यधीन विस्तारित कर दिया गया है।

(**हवाला** : भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय पत्रांक 02(03)/2010-डी(पेंशन नीति), दिनांक 17 जनवरी, 2013

6. **<u>दोहरी पारिवारिक पेंशन</u>** - दो संगठनों में कार्य करने वाले सशस्त्र बल कार्मिक दोहरी पेंशन के हकदार होते हैं। तथापि, उस पेंशनर की मृत्यु के बाद उसका परिवार इन में से केवल उस एक पेंशन को प्राप्त करने का पात्र होता था जोकि अधिक लाभकारी होती थी। अब मृतक का परिवार भी दोहरी पेंशन प्राप्त कर सकेंगा।

(**हवाला** : भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय पत्रांक 01(05)/2011-डी(पेंशन नीति), दिनांक 17 जनवरी, 2013

7. **<u>पेंशन : अधिकारी वर्ग</u>** - जनवरी, 2006 से पूर्व सेवानिवृत्त अधिकारियों की सेवा पेंशन उनके न्यूनतम वेतन बैंड पर निर्धारित की जाती थी। इससे विभिन्न रैंकों के पेंशन में काफी असमानता थी। सेवानिवृत्त मेजर इससे सर्वाधिक प्रभावित थे। सरकारी आदेश जारी होने के फलस्वरूप वर्ष 2006 से पूर्व सेवानिवृत्त अधिकारियों को उनके रैंकवार मान सहित निर्धारण तालिका+ग्रेड वेतन+अर्हक सेवा के 33 वर्षों की एमएसपी के अनुसार उनके रैंक के न्यूनतम वेतन की 50 प्रतिशत पेंशन प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार, अब सामान्य, विशेष एवं उदारीकृत पारिवारिक पेंशन की गणना निर्धारण तालिका में रैंक के न्यूनतम वेतन के अनुसार की जाएगी। संशोधित पात्रता को दर्शाने वाली तालिका नीचे दी गई है -

रैंक	वेतन बैंड का न्यूनतम वेतन	1 जनवरी, 2006 को पेंशन ((क) का 50 प्रतिशत+ग्रेड वेतन+ एमएसपी)	निर्धारण तालिका में न्यूनतम वेतन	24.09.12 को पेंशन ((ग) का 50 प्रतिशत+ ग्रेड वेतन+ एमएसपी)	पारिवारिक पेंशन ((ग) का 30 प्रतिशत+ ग्रेड वेतन+ एमएसपी)	विशेष पारिवारिक पेंशन ((ग) का 60 प्रतिशत+ ग्रेड वेतन+ एमएसपी)	उदारीकृत पारिवारिक पेंशन ((ग) का 100 प्रतिशत+ ग्रेड वेतन+ एमएसपी)
	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)
लेफ्टिनेंट	15600	13500	19530	15465	9279	18558	30930
कैप्टन	15600	13850	20190	16145	9687	19374	32290
मेजर	15600	14464	23810	18205	10923	21846	36410

Lt Col	37400	25700	38530	26265	15759	31518	52530
Col	37400	26050	40890	27795	16677	33354	55590
Brig	37400	26150	43390	29145	17487	34974	58290
Maj Gen	37400	26700	44700	30350	18210	36420	60700

Table 1: Pension Entitlements: Officers

8. **Pension: Pre 2006 Retired JCO and OR.** The revised pension for JCO and OR will now be worked out at notional maximum of the best of the three services. In addition, the weightage admissible to retired Sep, Nk and Hav in the latest Govt Orders have been increased to 12, 10 and 8 years respectively. The pre-2006 retired JCOs are not affected by the latest Govt Orders. A table giving revised entitlements of Service Pension and Ordinary / Special / Liberalised Family Pension is given below.

Rk	**Service Pension wef Sep 2012**	**Revised Ordinary Family Pension**	**Revised Spl Family Pension**	**Revised Liberalised Family Pension**
Sep	5480	3500	7000	10960
Nk	6599	3960	7920	13198
Hav	7375	4425	8850	14750
Nb Sub	10675	6405	12810	21350
Sub	11970	7128	14364	23940
Sub Maj	12285	7371	14742	24570

Table 2: Service and Family / Special / Liberalised Family Pension: JCO & OR

लेफ्टिनेंट कर्नल	37400	25700	38530	26265	15759	31518	52530
कर्नल	37400	26050	40890	27795	16677	33354	55590
ब्रिगेडियर	37400	26150	43390	29145	17487	34974	58290
मेजर जनरल	37400	26700	44700	30350	18210	36420	60700

तालिका 1 - पेंशन संबंधी पात्रता - अधिकारी

8. **<u>पेंशन : वर्ष 2006 से पूर्व सेवानिवृत्त जेसीओ एवं ओआर –</u>** जेसीओ एवं ओआर की संशोधित पेंशन की गणना अब उनकी तीनों सेवाओं में से सर्वोत्तम सेवा के अनुमानित अधिकतम वेतन पर की जाएगी। इसके अतिरिक्त, अभी हाल ही में जारी सरकारी आदेश में सेवानिवृत्त सिपाही, नायक एवं हवलदार के लिए गाह्य मान को बढ़ाकर क्रमशः 12, 10 एवं 8 वर्ष कर दिया गया है। वर्ष 2006 से पूर्व सेवानिवृत्त जेसीओ इस सरकारी आदेश से प्रभावित नहीं होंगे। सेवा पेंशन एवं सामान्य/विशेष/उदारीकृत पारिवारिक पेंशन की संशोधित पात्रता दर्शाने वाली तालिका नीचे दी गई है -

रैंक	सितंबर, 2012 से सेवा पेंशन	संशोधित सामान्य पारिवारिक पेंशन	संशोधित विशेष पारिवारिक पेंशन	संशोधित उदारीकृत पारिवारिक पेंशन
सिपाही	5480	3500	7000	10960
नायक	6599	3960	7920	13198
हवलदार	7375	4425	8850	14750
नायब सूबेदार	10675	6405	12810	21350
सूबेदार	11970	7128	14364	23940
सूबेदार मेजर	12285	7371	14742	24570

तालिका-2 : जेसीओ एवं ओआर के लिए सेवा एवं सामान्य/विशेष/उदारीकृत पारिवारिक पेंशन

9. **Pension: Post 2006 Retired JCO and OR.** The post-2006 retired JCO and OR were granted the benefit of getting their service pension at 50% of the last pay drawn or 50% of notional maximum for 33 years of qualifying service whichever was more beneficial, by Govt letter dated 18 Aug 2010. In case they choose the latter option, they will now be entitled for enhanced weightage of 12 (Sep), 10 (Nk) and 8 (Hav) years. The enhanced and normal rate of Ordinary Family Pension for post-2006 retirees shall be determined at 100% and 60% of the Service Pension.

10. **Restoration of Pension of Childless Widows.** Childless widows of deceased officers and JCO / OR are now entitled to family pension even after re-marriage subject to income criteria.

(Auth: Govt of India, MoD Letter No 1(6) /2011-D (Pen-Policy) dt 06 Jan2012)

11. **Additional Pension to Older Veterans.** From 01 Jan 2006, the rates of pension on attaining the age of 80 years has been enhanced substantially. Some older veterans were facing problems in availing this benefit, as their exact date of birth was not mentioned in the PPO. Such veterans can submit four copies of either PAN Card / Matriculation Certificate / Pass Port / ECHS Card / Driving Licence / Election ID Card, duly attested by a Gazetted Officer / MLA to the Pension Disbursing Agency for grant of enhanced Pension / Family Pension.

(Auth: Govt of India, MoD Letter No 1(11)/2009/D (Pen/Policy) dt 18 Aug 09)

12. **Implementation of H'ble Supreme Court Ruling on Rank Pay Arrears.** In order to implement the H'ble Supreme Court Ruling on rank pay arrears, PCDA (O) has requested information pertaining to the affected officers. This data was not readily available either with PCDA (O) or the AG Branch. In order to update our data on priority, an effort has been made to reach out to the veterans via the internet. Information received on email is being updated. This will ensure timely release of arrears to our Veterans.

9. **<u>पेंशन– वर्ष 2006 के बाद सेवानिवृत्त जेसीओ एवं ओआर</u>** – भारत सरकार के दिनांक 18 अगस्त, 2010 के पत्र द्वारा वर्ष 2006 के बाद सेवानिवृत्त जेसीओ एवं ओआर को उनके आहरित अंतिम वेतन के 50 प्रतिशत पर या उनकी अर्हक सेवा के 33 वर्ष की अनुमानित अधिकतम के 50 प्रतिशत पर सेवा पेंशन प्राप्त करने का लाभ प्रदान किया गया था। यदि उन्होंने बाद वाला विकल्प चुना हो तो अब वे 12 (सिपाही), 10 (नायक) एवं 8 (हवलदार) वर्ष के बढ़े हुए मान के पात्र होंगे। वर्ष 2006 के बाद सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए सामान्य पारिवारिक पेंशन की बढ़ी हुई एवं सामान्य दरों का निर्धारण सेवा पेंशन के 100 प्रतिशत एवं 60 प्रतिशत पर किया जाएगा।

10. **<u>संतानहीन विधवाओं के पेंशन को लागू करना</u>** – मृत अधिकारियों एवं जेसीओ/ ओआर की संतानहीन विधवाएँ अब पुनर्विवाह के पश्चात भी आय के मानदंडों के अध्यधीन पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने की पात्र होंगी।

(**हवाला** : भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय पत्र सं0 1(6)/2011-डी(पेंशन नीति), दिनांक 6 जनवरी, 2012

11. **<u>बुजुर्ग भूतपूर्व सैनिकों को अतिरिक्त पेंशन</u>** – 1 जनवरी, 2006 के बाद से 80 वर्ष की आयु वाले भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन दरों में बढ़ोतरी कर दी गई है। कुछ बुजुर्ग भूतपूर्व सैनिकों को उनके पीपीओ में सटीक जन्म तिथि का उल्लेख न होने के कारण इस लाभ को प्राप्त करने में कठिनाई हो रही थी। ऐसे सैनिक इस बढ़ी हुई पेंशन/पारिवारिक पेंशन को प्राप्त करने के लिए अपने पैन कार्ड/मैट्रिक प्रमाण पत्र/पासपोर्ट/ ईसीएचएस कार्ड/ड्राइविंग लाईसेंस/मतदाता पहचान पत्र की चार प्रतियाँ किसी राजपत्रित अधिकारी/विधायक से विधि वत रूप से प्रमाणित करवा कर पेंशन वितरण एजेंसी के पास प्रस्तुत कर सकते हैं।

(**हवाला** : भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय पत्र सं0 1(11)/2009/डी(पेंशन नीति), दिनांक 18 अगस्त, 2009

12. **<u>रैंक वेतन की बकाया राशि के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का क्रियान्वयन</u>** – रैंक वेतन की बकाया राशि के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का क्रियान्वयन करने के लिए पीसीडीए (ओ) द्वारा प्रभावित अधिकारियों से संबंधित जानकारी का अनुरोध किया गया था। यह आंकड़े पीसीडीए (ओ) या एजी शाखा के पास तत्काल रूप से उपलब्ध नहीं थे। इन आंकड़ों को प्राथमिकता के आधार पर एकत्रित करने के लिए इंटरनेट के माध्यम से भूतपूर्व अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया गया है। ई-मेल से प्राप्त जानकारी को अद्यतन किया जा रहा है। इससे हमारे भूतपूर्व अधिकारियों को बकाया राशि समय पर प्रदान की जानी सुनिश्चित की जा सकेगी।

13. **Issue of Corrigendum PPOs.** After the 6th CPC, PCDA (P), Allahabad had directed the banks to revise and disburse correct pension. A large number of cases of incorrect revision occurred, creating difficulties for our esteemed Veterans. Accordingly, a case was taken up with PCDA (P) to revise PPOs of all pre-2006 retirees, duly incorporating all amendments issued over the years. These include recent orders passed in Dec 12 and Jan 13. A project named "Sangam" has been launched and fresh PPOs of pre-2006 retirees will be issued, after automation. This will ensure correct fixation of pension and timely incorporation of revised rates, wherever fresh orders are issued. To speed up the process, 33 clerks have been attached with PCDA (P). In addition, data on family pensioners is being collated so as to issue their PPOs on priority.

14. **Responsibility of Banks.** AG Branch has signed a MoU with 10 Nationalised and Private Banks on the Defence Salary Package. All these banks have been asked to open separate counters for ex-servicemen as also to attend to their grievances promptly. SBI officers manning their Central Pension Processing Cell (CPPC) are also being imparted regular training on latest orders governing the scales of pensions. Pensioners are advised to approach the CPPC for airing their grievances rather than the pension disbursing branch.

15. **Defence Pension Adalats.** In 2013, the Defence Pension Adalats are planned to be held at Bikaner (Feb), Bhatinda (Apr), Tezpur (Jun), Belguam (Sep), Jamshedpur (Oct) and Bhiwani (Dec).

16. **Centralised Public Grievances Redressal and Monitoring System (CPGRAMS).** The Department of Administrative Reform and Public Grievances has launched a web based portal called CPGRAMS, where citizens can lodge their grievances from anywhere and at any time to the concerned Ministry or Department. We are taking up a case so that defence pensioners can also lodge in their grievances through CPGRAMS.

13. **पीपीओ द्वारा शुद्धिपत्र जारी करना** – छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के पश्चात् पीसीडीए (पी), इलाहाबाद द्वारा बैंकों को पेंशन संशोधित करने और सही पेंशन वितरित करने के निर्देश दिये गये थे। पेंशन में गलत ढंग से संशोधन करने संबंधी कई मामले प्रकाश में आए जिससे हमारे माननीय भूतपूर्व सैनिकों को बड़ी कठिनाइयाँ हुई। तदनुसार, वर्ष 2006 से पूर्व सेवानिवृत्त समस्त कार्मिकों के पीपीओ में संशोधन करने के लिए पीसीडीए (पी) के समक्ष एक रूपरेखा प्रस्तुत की गयी जिसमें इन वर्षो के दौरान हुए समस्त संशोधनों को विधिवत रूप से शामिल किया जा सके। इनमें अभी हाल ही में दिसंबर 2012 एवं जनवरी 2013 को जारी हुए आदेश भी शामिल थे। 'संगम' नामक एक परियोजना भी प्रारंभ की गई जिससे स्वचलीकरण के पश्चात वर्ष 2006 से पूर्व सेवानिवृत्त कार्मिकों के नए पीपीओ जारी किए जाएंगे। इससे पेंशन का उपयुक्त निर्धारण सुनिश्चित हो सकेगा और उसमें संशोधित दरों को जब भी नए आदेश जारी होंगे, शामिल किया जा सकेगा। इस प्रक्रिया के शीघ्रता से निष्पादित के लिए 33 लिपिकों को पीसीडीए (पी) में तैनात किया गया है। इसके अतिरिक्त, पारिवारिक पेंशनरों से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं जिससे उनको प्राथमिकता के आधार पर पीपीओ जारी किए जा सकें।

14. **बैंकों का उत्तरदायित्व** – एजी शाखा ने रक्षा वेतन पैकेज के संबंध में 10 राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं निजी बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समस्त बैंकों को भूतपूर्व सैनिकों के लिए पृथक काउंटर खोलने और उनकी शिकायतों के तत्काल समाधान के लिए कहा गया है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा केन्द्रीय पेंशन संसाधन प्रकोष्ठ (सीपीपीसी) मे तैनात कर्मचारियों को पेंशन मानों से संबंधित नवीनतम आदेशों का पालन करने के लिए नियमित प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। पेंशनरों को सलाह दी जा रही है कि अपनी शिकायतों के समाधान के लिए पेंशन वितरण शाखा की अपेक्षा सीपीपीसी से संपर्क करें।

15. **रक्षा पेंशन अदालतें** – वर्ष 2013 में रक्षा पेंशन अदालतें बीकानेर, (फरवरी में), भटिंडा (अप्रैल में), तेजपुर (जून में), बेलगाम (सितंबर में), जमशेदपुर (अक्टूबर में) एवं भिवानी (दिसंबर में) आयोजित करने की योजना है।

16. **केन्द्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निराकरण एवं मानीटरन प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस)** –प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा सीपीजीआरएएमएस नामक एक वेब आधारित पोर्टल प्रारंभ किया गया है जिसमें नागरिक किसी भी स्थान से तथा किसी भी समय संबंधित मंत्रालय या विभाग से संबंधित शिकायत दर्ज कर सकते हैं। हम इस दिशा में कार्यरत हैं कि रक्षा पेंशनर भी सीपीजीआरएएमएस के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकें।

ECHS

17. **General.** ECHS aims to provide quality healthcare to ex-servicemen pensioners and their dependents. As on 01 Jan 2013, a total of 13,09,997 ex-servicemen have enlisted with the Scheme alongwith 29,06,808 dependents. Total beneficiaries of the Scheme, thus amount to 42,16,805.

18. **Polyclinics.** The Govt had initially sanctioned 227 Polyclinics in 2002, all of which were made functional by 2008. Subsequently, the Govt sanctioned 199 additional Polyclinics in Oct 2010, of which 106 Polyclinics have become operational. There are, thus a total 333 Polyclinics operational across the Country. The Govt has till date approved 713 civil hospitals for empanelment with ECHS.

19. **On-line Bill Processing.** Govt had sanctioned 'On-Line Bill Processing' using a Bill Processing Agency (UTI-ITSL) in Feb 2012 at five major Stations i.e. Delhi, Chandimandir, Pune, Secunderabad and Trivandrum. The project commenced on 01 Apr 2012 as scheduled. Sanction for extending On-line Billing Processing to five more stations has been received in Nov 2012 and the same is under implementation. On-line bill processing has speeded up the processing and payment of empanelled hospital bills, as also ushered in a lot of transparency.

20. **Outsourcing of Pharmacy Operations.** The Govt has approved outsourcing of pharmacy operations of ECHS at six Stations i.e. Delhi, Chandigarh, Pune, Secunderabad, Trivandrum and Lucknow. Once the project is implemented, selected vendors will establish pharmacies alongside each ECHS Polyclinic and dispense medicines to ECHS beneficiaries. This will ensure that ECHS beneficiaries get all the medicines prescribed to them by doctors in ECHS polyclinics or in ECHS empanelled hospitals.

21. **Establishment of ECHS Polyclinics in Nepal.** ECHS facilities have also been extended to Nepal domiciled ex-servicemen. The Govt has

भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस)

17. **सामान्य** - ईसीएचएस का उद्देश्य भूतपूर्व पेंशनरों एवं उनके आश्रितों को उत्कृष्ट चिकित्सा प्रदान करना है। 1 जनवरी, 2013 तक कुल 13,09,997 भूतपूर्व सैनिकों एवं 29,06,808 आश्रितों को इस योजना में शामिल किया जा चुका था। इस प्रकार इस योजना से लाभान्वित होने वाले हिताधिकारियों की कुल संख्या 42,16,805 है।

18. **पॉलिक्लिनिक** - सरकार ने वर्ष 2002 के प्रारंभ में 227 पॉलिक्लिनिक की संस्वीकृति प्रदान की थी जिनको वर्ष 2008 तक संचालित कर दिया गया था। तत् पश्चात सरकार ने अक्टूबर, 2010 में 199 पॉलिक्लिनिक की संस्वीकृति प्रदान की जिसमें से 106 पॉलिक्लिनिक संचालित हो गए हैं। इस प्रकार से पूरे देश में 333 पॉलिक्लिनिक संचालित हैं। सरकार ने ईसीएचएस के साथ-साथ 713 सिविल अस्पतालों को भी सूची में शामिल करने का अनुमोदन किया है।

19. **बिलों का ऑन लाइन प्रक्रमण** - सरकार ने फरवरी, 2012 में दिल्ली, चंडीमंदिर, पूणे, सिकंदराबाद एवं त्रिवेन्द्रम में बिल प्रक्रमण एजेंसी (यूटीआई-आईटीएसएल) का प्रयोग करते हुए 'ऑन लाइन बिल प्रक्रमण की संस्वीकृति प्रदान की थी। यह परियोजना 1 अप्रैल, 2012 को निर्धारित समय के अनुरूप प्रारंभ हो गयी। पांच और स्थानों पर बिलों के ऑन लाइन प्रक्रमण की संस्वीकृति नवंबर, 2012 में प्राप्त हुई है जिसे कार्यान्वित किया जा रहा है। बिलों के ऑन लाइन प्रक्रमण से बिलों का प्रक्रमण शीघ्रता से हो रहा है और सूची में शामिल अस्पतालों के बिलों के भुगतान में अधिकाधिक पारदर्शिता आ रही है।

20. **फार्मेसी का कार्य बाह्य स्त्रोतों से करवाना** - सरकार ने दिल्ली, चंडीगढ़, पूणे, सिकंदराबाद, त्रिवेन्द्रम एवं लखनऊ जैसे छह केन्द्रों पर ईसीएचएस के फार्मेसी के कार्यों को बाह्य स्त्रोतों से करवाने की अनुमति प्रदान कर दी है। परियोजना के कार्यान्वित होने के बाद चुनिंदा विक्रेता प्रत्येक ईसीएचएस पॉलिक्लिनिक के साथ फार्मेसी स्थापित कर ईसीएचएस हिताधिकारियों को औषधियों का वितरण कर सकेंगे। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि ईसीएचएस हिताधिकारी ईसीएचएस पॉलिक्लिनिक या ईसीएचएस की सूची में शामिल अस्पतालों के चिकित्सकों द्वारा विहित समस्त औषधियाँ प्राप्त कर रहे हैं।

21. **नेपाल में ईसीएचएस पॉलिक्लिनिक की स्थापना** - नेपाल के अधिवासी भूतपूर्व सैनिकों के लिए ईसीएचएस सुविधाओं को नेपाल में भी उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार ने काठमांडू, पोखरा एवं धरन में एक-एक पॉलिक्लिनिक स्थापित करने की संस्वीकृति प्रदान

sanctioned an ECHS polyclinic each at Kathmandu, Pokhra and Dharan, with a mobile polyclinic co-located at each of these locations, for providing treatment to ECHS beneficiaries residing in remote areas of Nepal.

22. **Facilities for Senior Citizens.** Most of the ECHS beneficiaries are senior citizens. However, male / female ECHS members who are above 75 / 70 years of age will be given 'priority' for various activities in ECHS Polyclinics, such as out of turn attendance at reception, examination by doctors and issue of medicines.

23. **Grievance Redressal mechanism.** All grievances received from ECHS beneficiaries are being replied to, including information sought under the RTI. The grievances are being addressed through e-mail via internet, through website pgportal.gov.in of DoESW. In addition to the above, an 'Arbitration Committee' has also been formed at Central Org, ECHS.

24. **ECHS Website.** All information regarding ECHS, including list of empanelled facilities, forms for membership and latest policies is available at www.echs.gov.in.

Facilities / Amenities

25. **Children's Hostel at Kota, Rajasthan.** Kota has become a major educational hub with the mushrooming of a number of institutes offering coaching facilities for admission into the IITs. In order to meet the growing aspirations of serving and retired personnel, a Children's Hostel is being constructed at Kota. The three storied hostel will accommodate 174 students, in 58 rooms on triple sharing basis.

26. **AWWA Hostel at Kalina, Mumbai.** Diamond AWWA hostel at Kalina, Mumbai caters for the needs of wards of officers, JCO / OR and ex-servicemen pursuing their education in Mumbai. The hostel is being expanded by construction of 2 ½ additional storeys.

की है। इनमें से प्रत्येक स्थान पर एक सुवाह्य पॉलिक्लिनिक भी स्थापित किया जाएगा जिससे नेपाल के सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले ईसीएचएस हिताधिकारियों को उपचार लाभ हो सके।

22. **वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधाएँ** – अधिकांश ईसीएचएस हिताधिकारी वरिष्ठ नागरिक हैं। तथापि, 70/75 वर्ष से अधिक आयु के महिला/पुरूष ईसीएचएस सदस्यों को ईसीएचएस पॉलिक्लिनिकों में विभिन्न क्रियाकलापों जैसे स्वागत पटल पर बिना बारी के उपस्थिति दर्ज कराना, चिकित्सकों द्वारा जांच कराना एवं औषधियाँ वितरित करने आदि के लिए 'प्राथमिकता' प्रदान की जाएगी।

23. **शिकायतों का निराकरण तंत्र** – सूचना के अधिकार के अंतर्गत मांगी गई जानकारी सहित ईसीएचएस हिताधिकारियों से प्राप्त समस्त शिकायतों का उत्तर दिया जा रहा है। इन शिकायतों का निराकरण डीओईएसडब्लयू की वेबसाइट pgportal.gov.in के द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, ईसीएचएस के केन्द्रीय संगठन में एक 'मध्यस्थता समिति' का भी गठन किया गया है।

24. **ईसीएचएस वेबसाइट** – ईसीएचएस से संबंधित समस्त जानकारी, इसकी सदस्यता के प्रपत्र एवं नवीनतम नीतियाँ www.echs.gov.in पर उपलब्ध हैं।

सुविधाएँ

25. **कोटा, राजस्थान में बच्चों का छात्रावास** – आईआईटी में प्रवेश परिक्षा की कोचिंग के लिए सुविधाएँ प्रदान करने वाले कई संस्थानों की मौजूदगी के कारण कोटा एक प्रमुख शैक्षणिक केन्द्र बन गया है। सेवारत एवं सेवानिृवत्त कार्मिकों की बढ़ती हुई आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कोटा में बच्चों के लिए एक छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है। इस तीन मंजिला छात्रावास में 58 कमरों में तीन-तीन छात्र की दर से कुल 174 छात्र रह सकते हैं।

26. **कलिना, मुंबई में आवा छात्रावास** – कलिना, मुंबई में अवस्थित आवा छात्रावास मुंबई में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए अधिकारियों, जेसीओ/ओआर एवं भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों की रहने की आवश्यकता पूरी करता है। इस छात्रावास में 2½ मंजिल का अतिरक्ति निर्माण कर इसकी क्षमता में बढ़ोत्तरी की जा रही है।

27. **Enhanced Grants on Demise.** The rates of Demise Grant being paid to the NOK of retired JCO / OR through the AG branch and the Assured Decent Last Rites Scheme which are being paid through dependent Canteen, have been enhanced to Rs 5,000/- each.

28. **Digital Signage.** This project was implemented in Sep 2011 and presently covers 36 polyclinics located in Northern India including nine polyclinics located in NCR. Information pertaining to the AG's Branch is being disseminated through this system to all ex-servicemen visiting the ECHS Polyclinics.

AWPO

29. **General.** AWPO is welfare organisation which assists Veterans, Widows, Wards and Dependents of serving / retired soldiers in getting jobs in public / private sector. It has a PAN INDIA network of 15 Placement Nodes (PNs) and 50 Placement Cells (PCs). New Placement Nodes have been raised at Mumbai, Lucknow, Jaipur and Placement Cells at Bhubneshwar, Dehradun, Raipur and Shimla. More than 1.6 lakh personnel are registered for jobs with AWPO and approx 66,000 personnel have been placed so far.

30. **Opportunities.** At present there are large number of vacancies in State Armed Police (SAP), Railways and Private Sector which are undersubscribed. More than 350 platoons of DSC are being raised over a period of 3-4 years. Desirous candidates can register online or approach nearest Placement Node / Cell / HQ AWPO for suitable job assistance and career counselling.

31. **Reservations.** Consequent to the implementation of 6th CPC, no ex-servicemen would fall under Group D. A case has been taken up with the Govt to extend the benefit of reservation that was available to ex-servicemen in Gp C & D Govt jobs earlier to Gp B & C category without any dilution.

27. **<u>मृत्यु परक अनुदान में बढ़ोतरी</u>** - सेवानिवृत्त जेसीओ/ओआर की मृत्यु हो जाने की स्थिति में उनके निकट संबंधियों को एजी शाखा के माध्यम से प्रदान की जा रही मृत्यु अनुदान और आश्रित कैंटीन के माध्यम से सुनिश्चित उपयुक्त अंतिम संस्कार योजना, प्रत्येक को बढ़ाकर 5000/-रू0 कर दिया गया है।

28. **<u>अंकीय संकेतक</u>** - इस परियोजना को सितंबर, 2011 में कार्यान्वित किया गया था। मौजूदा समय में राष्ट्रीय राजधानी के नौ पॉलिक्लिनिक सहित उत्तरी भारत में अवस्थित 36 पॉलिक्लिनिकों को इस परियोजना में शामिल किया गया हैं। इस प्रणाली के माध्यम से एजी शाखा से संबंधित जानकारी को ईसीएचएस पॉलिक्लिनिक आने वाले समस्त भूतपूर्व सैनिकों के लाभ के लिए प्रसारित किया जा रहा है।

<u>एडब्लयूपीओ</u>

29. **<u>सामान्य</u>** - एडब्लयूपीओ एक कल्याणकारी संगठन है जो कि भूतपूर्व सैनिकों, सेवारत/सेवानिवृत्त सैनिकों के विधवाओं, बच्चों एवं उनके आश्रितों को सार्वजनिक/निजी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। इस संगठन के पूरे भारत में 15 नियोजन केन्द्र (पीएन) और 50 नियोजन प्रकोष्ठ (पीसी) हैं। मुंबई, लखनऊ और जयपुर में नए नियोजन केन्द्र तथा भुवनेश्वर, देहरादून, रायपुर एवं शिमला में नए नियोजन प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं। एडब्लयूपीओ में 1.6 लाख से अधिक कार्मिकों ने रोजगार के लिए पंजीकरण कराया है जिसमे से अब तक 66,000 कार्मिकों को नियोजित किया जा चुका है।

30. **<u>अवसर</u>** - मौजूदा समय में राज्य सशस्त्र पुलिस (एसएपी), रेलवे एवं निजी क्षेत्रों में काफी अधिक रिक्तियाँ हैं जो कि अभिदत्ताधीन है। 3-4 वर्षो में डीएससी की 350 से अधिक प्लाटून तैयार की जायेगी। इच्छुक उम्मीदार अपना पंजीकरण ऑन लाइन करवा सकते हैं अथवा उपयुक्त रोजगार सहायता और रोजगार संबंधी परामर्श के लिए नजदीकी नियोजन केन्द्र/प्रकोष्ठ/एडब्लयूपीओ के मुख्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

31. **<u>आरक्षण</u>** - छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के लागू होने के परिणामस्वरूप कोई भी भूतपूर्व सैनिक वर्ग 'घ' में नहीं आ पायेगा। अतः इस आशय से संबंधित मामला सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया है कि भूतपूर्व सैनिकों को सरकारी नौकरियों में वर्ग ग एवं घ के स्थान पर वर्ग ख एवं ग में आरक्षण उपलब्ध कराया जाए।

CSD

32. **General.** Mobile Canteens are visiting rural / remote areas to provide canteen services to the ex-servicemen. A number of requests for increasing the CSD canteens have been recd and these are being examined for implementation.

33. **Nepal Domiciled ESM.** CSD facilities have now been extended to cover Indian Army ex-servicemen settled in Nepal. This will facilitate Nepal domiciled ex-servicemen to visit CSD canteens located near the Indo-Nepal border and avail canteen facilities

AGI

34. **Refund of AGI Medical Benefit Scheme Subscription.** Consequent to the implementation of ECHS, AGI run Medical Benefit Scheme (MBS) has been discontinued from 31 Mar 03. All veterans who were members of MBS and have not yet taken refund may please do so by sending original MBS certificate and Bank account details. As on 31 May 12, the following are yet to collect their refund:-

(a) Officers. 28.3%.

(b) JCOs & OR. 37.24%.

35. **AGIF Scholarship Scheme.** AGI has introduced an AGIF Scholarship Scheme as a pilot project for three years. The scheme is designed for the wards of AGI members (both serving and retired) who are pursuing higher studies in AWES run Institutions / Colleges from the academic year 2012-13. The Colleges / Institutes are ACDS, AIL, ACMS, ACN, AIN, AIHM&CT, AIMK, AIT and AIMT.

Misc

36. **Priority Treatment to Disabled Ex-Servicemen.** DGAFMS has issued directions to all Military Hospitals to attend to disabled soldiers on priority and has directed them to place suitable sign posts in Military Hospitals to that effect.

सीएसडी

32. **सामान्य** – भूतपूर्व सैनिकों को कैंटीन की सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए सुवाह्य कैंटीन ग्रामीण/सुदूर क्षेत्रों में भेजी जा रही हैं। सीएसडी कैंटीनों की संख्या में बढ़ोतरी करने के लिए बड़ी संख्या में अनुरोध प्राप्त हुए हैं और उन पर क्रियान्वयन के लिए विचार किया जा रहा है।

33. **नेपाल अधिवासी भूतपूर्व सैनिक** – अब नेपाल में रहने वाले भारतीय थलसेना के भूतपूर्व सैनिकों को भी सीएसडी की सुविधा प्रदान की जा रही हैं। नेपाल में अधिवासी भूतपूर्व सैनिक भारत–नेपाल सीमा पर अवस्थित सीएसडी कैंटीन से इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

एजीआई

34. **एजीआई चिकित्सा लाभ योजना के अंशदान की वापसी** – ईसीएचएस के कार्यान्वयन के फलस्वरूप एजीआई द्वारा संचालित चिकित्सा लाभ योजना (एमबीएस) को 31 मार्च, 2003 से समाप्त कर दिया गया है। समस्त भूतपूर्व सैनिक जो कि एमबीएस के सदस्य थे तथा जिन्होंने अभी तक अपनी राशि वापस नहीं ली हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपना मूल एमबीएस प्रमाण पत्र तथा बैंक खाते का विवरण प्रेषित करके अपनी राशि वापस ले लें। 31 मई, 2012 तक निम्नलिखित अधिकारियों एवं कार्मिकों द्वारा अभी भी अपनी राशि वापस एकत्र करना शेष है –

(क) अधिकारी –28.3 प्रतिशत
(ख) जेसीओ एवं ओआर – 37.24 प्रतिशत

35. **एजीआईएफ छात्रवृत्ति योजना** – एजीआई द्वारा तीन वर्षों के लिए एक मार्गदर्शी परियोजना के रूप में एजीआईएफ छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की गई है। यह योजना एजीआई सदस्यों (सेवारत एवं सेवानिवृत्त दोनों) के बच्चों के लिए है जो कि शैक्षणिक वर्ष 2012–13 से एडब्लयूईएस द्वारा संचालित संस्थानों/कॉलेजों में उच्चतर शिक्षा के लिए अध्ययनरत हैं। यह कॉलेज/संस्थान एसीडीएस, एआईएल, एसीएमएस, एसीएन, एआईएन, एआईएचएमएंडसीटी, एआईएमके, ए आई टी एवं एआईएमटी हैं।

विविध

36. **अशक्त भूतपूर्व सैनिकों के उपचार को प्राथमिकता** – सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा के महानिदेशक द्वारा सेना के समस्त अस्पतालों को निर्देश जारी किए गए हैं कि अशक्त सैनिकों का उपचार प्राथमिकता के आधार पर किया जाए और इस आशय की उपयुक्त संकेत पट्टिकाएँ सेना अस्पतालों में लगाई जांए।

37. **Reservations.** The Honourable Raksha Mantri has written to HRD and Health & Family Welfare Ministers requesting them to increase the number of seats reserved for wards of serving personnel and ex-servicemen in universities, educational institutions and medical / dental colleges.

Conclusion

38. The welfare of Veterans and Veer Naris remains an important KRA of the COAS. The COAS has attended a number of ex-servicemen rallies to get first hand knowledge of the problems besetting the Veterans besides interacting with various ESM organisations. It will be the endeavour of 'The Veteran' to get you the latest news and views related to the welfare of ESM Community.

HELP LINE NUMBERS

Ser.	Location	Number	Remarks
1	Veterans Cell, Army HQ	1800-116644 011-23016798	Toll Free
2	Bareilly	0581-2511492	
3	Chandimandir	0172-2554151	
4	Chennai	044-25675236 044-25675345	
5	Delhi Cantt	1800-112691	Toll Free
6	Jabalpur	0761-2716944	
7	Jammu	1800-1807009	Toll Free
8	Jaipur	1800-1806399	Toll Free
9	Kolkata	033-22226128	
10	Lucknow	1800-1805666 1800-1805444	Toll Free Toll Free
11	Mumbai	1800-220501	Toll Free
12	Pune	1800-2333244	Toll Free
13	Shillong	036-42227714	
14	Srinagar	0194-2467811 0194-2468086	
15	Udhampur	1800-1807018	Toll Free

37. **<u>आरक्षण</u>** – माननीय रक्षा मंत्री ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्रियों को लिखित रूप में अनुरोध भेजा है कि वे विश्वविद्यालयों, शैक्षिक संस्थानों एवं चिकित्सा/दंत चिकित्सा कॉलेजों में सेवारत कार्मिकों एवं भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या में बढ़ोतरी करें।

<u>निष्कर्ष</u>

38. भूतपूर्व सैनिकों एवं वीर नारियों का कल्याण थलसेनाध्यक्ष का एक महत्वपूर्ण के आर ए है। विभिन्न भूतपूर्व सैनिक संगठनों से बातचीत करने के अतिरिक्त थलसेनाध्यक्ष ने भूतपूर्व सैनिकों की कई रैलियों में भाग लिया जिससे कि वे भूतपूर्व सैनिकों के समक्ष आने वाली समस्याओं से अवगत हो सकें। 'दी वेटरन' भूतपूर्व सैनिकों के समुदाय के कल्याण से संबंधित नवीनतम समाचारों एवं विचारों को आप तक पँहुचाता रहेगा।

हेल्प लाईन नंबर

क्र.	स्थान	नंबर	टिप्पणियाँ
1	वेटरन सेल, सेना मुख्यालय	1800 – 116644 011 – 23016798	टोल फ्री
2	बरेली	0581 – 2511492	
3	चंडीमंदिर	0172 – 2554151	
4	चेन्नई	044 – 25675236 044 – 25675345	
5	दिल्ली कैन्ट	1800 – 112691	टोल फ्री
6	जबलपुर	0761 – 2716944	
7	जम्मू	1800 – 1807009	टोल फ्री
8	जयपुर	1800 – 1806399	टोल फ्री
9	कोलकता	033 – 22226128	
10	लखनऊ	1800 – 1805666 1800 – 1805444	टोल फ्री टोल फ्री
11	मुम्बई	1800 – 220501	टोल फ्री
12	पूना	1800 – 2333244	टोल फ्री
13	शिलांग	036 – 42227714	
14	श्रीनगर	0194 – 2467811 0194 – 2468086	
15	ऊधमपुर	1800 – 1807018	टोल फ्री